भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं0 248

(जिसका उत्‍तर मंगलवार दिनांक 01 दिसंबर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**जीएसटी लागू करने के लिए राजस्‍व तटस्‍थता दर**

**248.** श्री अहमद पटेल :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. जीएसटी लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमानित तटस्‍थ राजस्‍व दर क्या है;
2. उक्‍त दर का निर्धारण कैसे किया गया है; और
3. जीएसटी अवसंरचना लागू करने की क्‍या स्‍थिति है ?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍यमंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) और (ख): भारत सरकार ने प्रस्‍तावित माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्‍व तटस्‍थ दर का अध्‍ययन करने के लिए मुख्‍य आर्थिक सलाहकार के अधीन एक समिति गठित की है। साथ ही साथ, राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों की अधिकार प्राप्‍त समिति के तत्‍वावधान में इस विषय पर एनआईपीएफपी भी कार्य कर रही है। इन दोनों की रिपोर्टें प्रतीक्षा में हैं और इसलिए अभी कोई दर निर्धारित नहीं की गई है।

(ग): केंद्र और राज्‍य सरकारों द्वारा संयुक्‍त रूप से स्‍थापित की गई एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) केंद्र और राज्‍य सरकारों, कर दाताओं और अन्‍य पणधारियों को साझा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करेगी। जीएसटीएन फ्रंट एंड मोड्यूल्‍स के लिए आवश्‍यक सॉफ्टवेयर तैयार करेगी जिनमें पंजीकरण, भुगतान और विवरणियां शामिल होंगी। जीएसटीएन बैक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्‍स जैसे कि निर्धारण, लेखा परीक्षा इत्‍यादि भी तैयार करेगा जो विभिन्‍न राज्‍यों द्वारा अपेक्षित होंगे। यदि राज्‍य बैक एंड मॉड्यूल्‍स के लिए अपना ही सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्‍वतंत्र हैं और यदि वे जीएसटीएन द्वारा तैयार किए गए बैक एंड मॉड्यूल्‍स का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्‍हें वह प्रदान किया जा रहा है। जीएसटीएन ने आवश्‍यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अवसंरचना का विकास करने के लिए एक प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) पहले ही नियुक्‍त कर लिया है।